वैदिक काल में नारी : एक नवीन विश्लेषण

डॉ. अंजलि दुबे
अतिथि विद्वान - इतिहास
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

नारी की स्थिति के संबंध में वैदिक युग को स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि वैदिक काल में नारी की अवस्था विकसित एवं उन्नत थी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी समान रूप से समाहित थी, इस कारण इस काल में नारी को 'गृह' अथवा 'घर' शब्दों से सम्बोधित किया गया है। ऋषि विश्वामित्र ने नारी को पारिवारिक जीवन का स्त्रोत माना है।[1] वैदिक काल में नारी का सम्मान एवं आदर, आदर्शात्मक व मर्यादायुक्त था। नारी अवस्था पुरुष के सदृश थी एवं नारी को पुरूषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीतिक, सम्पातिक आदि अधिकार प्राप्त थे। इस युग में नारी शिक्षा अपनी उच्चतम सीमा पर थी। स्त्रियां पुरूषों के समकक्ष बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करती थी एवं पुत्रों की तरह पुत्री का भी विद्यारंभ के पूर्व उपनयन संस्कार संपन्न होता था। वैदिक काल में नारी दर्शनशास्त्र तर्कशास्त्र जैसे विषयों में निपुण होती थी एवं सभाओं व संगोष्ठियों में ऋग्वेद की ऋचाओं का गान किया करती थी नारी को शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट गौरव प्राप्त था। नृत्य और संगीत की शिक्षा भी वैदिक कालीन नारी द्वारा प्राप्त की जाती थी। वैदिक काल में लोपा मुद्रा एक विदूषी थी व घोषा सम्मानित ऋषिका थी।[2] इनके अतिरिक्त, ममता, अपाला, सूर्या, इन्द्राणी, राची, सर्परागिनी विश्वारा आदि अनेक नारियों ने इस युग में विद्या के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त किया। विश्वतारा ने अग्नि देवता के लिए ऋचाओं की रचना की। अपाला ने इन्द्र के लिए श्लोकों की रचना की। ऋग्वेद की अनेक ऋचाएं लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिकता, निवावरी और घोषा आदि विदुषी स्त्रियों के द्वारा रची गई है।[3]

वैदिक साहित्य से स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में कन्याओं का विवाह पूर्ण यौवनावस्था प्राप्त होने के पश्चात् किया जाता था[4] एवं कन्याओं को स्वयं वरण की अनुमति प्राप्त थी।[5] वेदों में वर्णन मिलते है, कि पर्वों या विशेष सामाजिक उत्सवों में आभूषणों से अलंकृत नारी अपने प्रेमियों को मोहने के लिए जाती थीं। ऋग्वेद में ऐसी सौभाग्यशाली कन्याओं का उल्लेख है जो सुंदर होने के कारण अपना वर प्राप्त करती थीं।[6] विवाह के पश्चात् नारी गृहस्थी की स्वामिनी होती थी। ऋग्वेद में वर्णित है कि विवाह की विधि पूर्ण होने पर पुरोहित नववधु को आर्शीवाद देता है कि वह ससुर, सास, ननद आदि की साम्राज्ञी हो।[7] अथर्ववेद में भी वर्णन है कि नववधू तू जिस घर में जा रही है, वहां की तू साम्राज्ञी हो और तेरे ससुर, सास देवर व अन्य तेरे शासन में आनंदित हों।[8] वैदिक युग में गंधर्व व राक्षस विवाह के उदाहरण मिलते है विमर्द ने युद्ध में पत्नी को प्राप्त किया।[9] असुर विवाह का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है जिसमें वर धन देकर कन्या से विवाह करता था किन्तु इस काल में इन विवाहों को प्रशंसनीय नहीं समझा जाता था।[10] वैदिक युग में शारीरिक दोष होने पर पिता द्वारा दहेज देकर कन्या का विवाह भी संपन्न कराया जाता था।[11] अथर्ववेद में संपन्न व्यक्तियों द्वारा भी अपनी कन्याओं को विवाह के अवसर पर दहेज देने के उदाहरण मिलते हैं जिसमें पिता द्वारा पुत्री के विवाह में वर को सौ गायें दहेज में दी गई।[12]

वैदिक युग में नारी को संपत्ति संबंधी अधिकार भी प्राप्त थे। नारी को गृह की वस्तुओं की स्वामिनी माना जाता था।[13] इसके अतिरिक्त कन्याओं को पिता की संपत्ति की अधिकारिणी माना गया है[14] किन्तु भाई होने की दशा में पुत्री का पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं माना जाता था। ऋग्वेद के अनुसार 'नान्व' पुत्र के होने पर उसकी बहिन 'रिक्य' में कोई भाग प्राप्त नहीं करती।[15] विवाह के समय जो उपहार कन्या को दिए जाते थे। उनकी स्वामिनी वह स्वयं होती थी।[16] यदि कोई कन्या विवाह न करें और पितृकुल में ही रहे तो भाई होने की दशा में भी पैतृक सम्पत्ति में उसका हिस्सा माना जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में प्रार्थना की गई है, कि हे देव इन्द्र! मैं आपसे उसी प्रकार धन की याचना करता हूँ जैसे कि माता पिता के साथ रहने वाली और पितृ गृह में ही बूढ़ी हो जाने वाली कन्या घर से अपना हिस्सा मांगती है।[17]

वैदिक काल में नारी की पारिवारिक स्थिति सामाजिक तथा धार्मिक कृत्यों में पुरूष के समकक्ष थी। नारी बिना यज्ञ भी अपूर्ण समझा जाता था।[18] किन्तु पति की अनुपस्थिति में पत्नी अकेली धार्मिक कृत्य करती थी।[19] विश्ववारा स्वयं अग्नि में आहूतियाँ देती थी। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से पत्नी को यज्ञ करने और अग्नि में आहूतियां देने का अधिकार दिया गया है।[20] गृह व्यवस्था नारी के हाथों में थी एवं समस्त पारिवारिक कर्त्तव्यों में उसके विचार लिए जाते थे।[21] पत्नी से अपेक्षा की जाती थी कि वह गृह कार्य में दक्ष हो, मितव्ययी हो, साथ ही परिवार में स्वच्छता तथा प्रसन्नता का वातावरण रखे इसलिए पारिवारिक जीवन में नारी को कुलभूषण मानकर वैदिक परिवार में श्रेष्ठ स्थान दिया गया।[22] ऋग्वेद में अनेक स्थान पर माता की श्रेष्ठता का भी वर्णन है।[23] यह सबसे घनिष्ट एवं प्रिय संबंध माना गया है एवं पुत्रों को माता के अनुकूल मन वाला होकर रहने की सलाह दी गई है।[24]

वैदिक समाज में नारी पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, और अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण उपभोग कर समाज में आदर तथा सम्मान का जीवन व्यतीत करती थीं। वैदिक समाज इस तथ्य से पूर्णरूपेण परिचित था कि स्त्रियों के प्रति सम्मान तथा उनकी सामाजिक स्वतंत्रता से ही सभ्यता का विकास हो सकता है, इसलिए समाज द्वारा नारी को समस्त अधिकार पुरूषों के समान दिए गए एवं धीरे-धीरे वैदिक समाज में नारी का महत्व इतना अधिक बढ़ा कि नारी के बिना पुरूष अपूर्ण व अधूरा समझा जाने लगा।[25] नारी को समाज में अन्तर्जातीय विवाह की आज्ञा दी गई। वैदिक समाज में पर्दा प्रथा का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता ऋग्वेद के अनुसार नव विवाहिता पति के घर आती थी तो समस्त अतिथि उसका मुख देखते थे।[26] नारी आकर्षक वेशभूषा तथा अलंकार धारण करके यज्ञों, पर्वो और समारोहों में इच्छानुसार सम्मलित होती थी। सामाजिक उत्सवों एवं जन सभाओं में स्त्रियों की उपस्थिति सामान्य बात थी और समाज में इसका स्वागत होता था।[27] वैदिक समाज में सती का भी उल्लेख नहीं है। विधवा अत्येष्ठि क्रिया के समय मृत पति के बाजू में लेटती थी।[28] तत्पश्चात् उससे उठने को कहा जाता था व प्रार्थना द्वारा उसे संतान एवं संपत्ति से युक्त उन्नत जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद दिया जाता था।[29] वह सती नहीं होती थी।[30] वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था। वैदिक साहित्य में 'पुनर्भु' शब्द मिलता है, यह शब्द ऐसी विधवा नारी के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसेन पुनर्विवाह किया हो। विधवा नारी किसी भी व्यक्ति से विवाह करने के लिए स्वतंत्र थी परंतु 'नियोग' प्रथा को पुनर्विवाह की अपेक्षा समाज ने अधिक मान्यता प्राप्त थी क्योंकि वैदिक समाज में मान्यता थी कि नियोग द्वारा उत्पन्न पुत्र में माता का रक्त रहता है।[31]

ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि नारी पति के साथ रणक्षेत्र में जाती थी और युद्ध में भाग लेती थी। विश्पला इसका ज्वलंत उदाहरण है। वह राजा रवेल की पत्नी थी व उसने युद्ध में अपना पैर गवां दिया था एवं कालान्तर में अश्विनी कुमारों ने उसका उपाचार किया।[32] इसी प्रकार ऋग्वेद मृदग्लानी का उल्लेख करता है जिसने शत्रुओं से लड़कर उनकी सहस्त्र गायों को जीत लिया था।[33] इन तथ्यों से प्रमाणित होता है कि नारियों के लिए वैदिक काल में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था थी। नारियां राजनीतिक संस्थाओं में भी भाग लेती थीं ऋग्वेद में उल्लेखित है कि स्त्री साधिकार विदय में वक्तृता दोगा।[34]

वैदिक युग में नारी द्वारा सौंदर्य की वृद्धि के लिए विविध आभूषण पहने जाते थे। जिनमें हार, केशपाश बांधने वाले फीते, बाजूबंद, अंगूठियां, कड़े, कुंडल, बालिया आदि प्रमुख हैं ये आभूषण स्वर्ण, रजत, हाथी दांत बहुमूल्य रत्नों आदि के होते थे। स्त्रियां हाथों में ऊपर तक चूड़ियां पहनती थीं।[35] नारी आभूषणों के अलावा प्रसाधनों का प्रयोग करती थी। नारी, दर्पण कंघी, काजल, सुरमा, सिंदूर आदि का प्रयोग करती थी। केशविन्यास व श्रृंगार में अभिरुचि रखती थीं और सुगंधित द्रव्यों व नेत्रों में अंजन का प्रयोग करती थीं। सिंधु सभ्यता में धारण किए जाने वाले लगभग सभी प्रसाधन व आभूषण वैदिक काल में नारी द्वारा धारण किए जाने लगे।[36]

वैदिक युग में स्त्रियों द्वारा धारण किए जाने वस्त्रों के लिए सम्भवतः विशेष शब्द नहीं मिलते। स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शब्दों का प्रयोग किया गया है जिन्हें ''नीवि'' अर्थात अधोवस्त्र तथा ''वास'' अर्थात शरीर पर धारण किया जाता था तथा ''आधिवास'' कहते थे। वैदिक कालीन नारी अधोवस्त्र को कमर पट्टे की सहायता से धारण करती थी।[37] सिर पर उष्णीश पहनने की प्रथा भी थी क्योंकि देवी इंद्राणी द्वारा शिरोवस्त्र धारण करने का उल्लेख भी मिलता है।[38]

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में नारी की स्थिति उन्नत और प्रतिष्ठा पूर्ण थी। पति की आज्ञाकारिणी होते हुए भी उसे परिवार में सम्मान प्राप्त था। विधवा नारी जिसका पुत्र नहीं होता था उसको पति की सम्पत्ति में हिस्सा दिया जाता था।[39] विधवा नारी को नियोग व पुनर्विवाह करने की स्वतंत्रता थी उसको समाज में बोझ नहीं समझा जाता था। अविवाहित नारी को भी पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त था। अंधी पुत्रियों को अथवा 'अंग भंग' कन्याओं का साधारणतः विवाह नहीं किया जाता था, किंतु कोई व्यक्ति उसे अपनी अर्द्धांगिनी स्वीकार करना चाहता था तो उसे अनुमति दी जाती थी।[40] नवविवाहित वधु का परिवार उच्च सम्मान प्राप्त था। विवाह के नियम भी वैदिक काल में सरल थे परंतु बहू विवाह का भी प्रचलन था। साधारणतः एक व्यक्ति एक ही नारी से विवाह करता था किन्तु राजघरानों में बहू विवाह प्रथा भी प्रचलित थी। वैदिक कालीन परिवार में कन्याओं को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी। वृहदरण्यक उपनिषद में ऐसे धार्मिक कृत्य का उल्लेख है जिसका उद्देश्य विदूषी कन्या प्राप्त करना था।[41] विवाह के उद्देश्य से भी नारी शिक्षा को वैदिक काल में प्रोत्साहन दिया जाता था। ऋग्वेद के अनुसार शिक्षित कन्या का विवाह उसी युवक के साथ संभव था जो विद्वता के क्रम में नारी के समकक्ष होता था।[42] इस युग में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का सर्वथा अभाव था। नारी अपने पति अथवा प्रेमी के साथ स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करती थीं। वैदिक कालीन विभिन्न उद्धरणों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां विविध व्यवसायिक कर्म जैसे कपड़ों की रंगाई, डालिया बनाना आदि कार्य करती थीं। अतः वैदिक कालीन ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस काल में नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। नारी बिना पुरूष को अपूर्ण समझा जाता था एवं परिवार व समाज में नारी को अत्याधिक सम्मान प्राप्त था।

संदर्भ

1. ऋग्वेद 3, 53, 4
2. ऋग्वेद 1, 117
3. ऋग्वेद 1, 179; 5, 28; 8, 911, 9.81, 10, 39, 40
4. ऋग्वेद 1, 115, 2; 117.7; 1, 123, 11:1, 197, 3
5. ऋग्वेद 10, 27, 12
6. ऋग्वेद 10, 27, 12
7. ऋग्वेद 10, 85, 46
8. अथर्ववेद 14/14
9. ऋग्वेद 1, 116, 1:1, 112, 19
10. ऋग्वेद 109, 2; 8, 2, 20
11. ऋग्वेद 28, 5, 10, 27, 12
12. अथर्ववेद 5, 17, 12
13. तैत्तरीय संहिता 6, 2, 1, 1
14. ऋग्वेद 1, 124, 7
15. ऋग्वेद 3, 31, 2
16. तैत्तरीय संहिता 6, 2, 1
17. ऋग्वेद 2, 17, 7
18. शतपय ब्राह्मण 5, 1, 6, 10
19. ऋग्वेद 10, 86, 10
20. ऋग्वेद 1, 131, 3
21. अथर्ववेद 14, 1, 43
22. ऋग्वेद 1, 66, 3
23. ऋग्वेद 1, 24, 1, 10.3
24. अथर्ववेद 3, 30, 2
25. शतपय ब्राह्मण 5, 21, 1, 10
26. ऋग्वेद 10, 185, 33
27. अथर्ववेद 2, 36, 1

28. अथर्ववेद 18, 3, 1

29. अथर्ववेद 18, 2, 1

30. ऋग्वेद 10, 187

31. ऋग्वेद 7, 5, 7

32. ऋग्वेद 1.118, 10; 117.11, 118.8, 10, 39.8

33. उपरिवत् 10, 102

34. ऋग्वेद 10, 85, 33

35. ऋग्वेद 5, 54, 11

36. ऋग्वेद 5, 54, 11, 1, 11, 68, 3

37. थतपथ ब्राह्मण 1, 3, 3, 6

38. थतपथ ब्राह्मण 14, 2, 1, 8

39. उपरिवत् 10, 102

40. ऋग्वेद 10, 23, 11

41. वृहदारण्यक उपनिषद 4, 4, 18

42. ऋग्वेद 3, 55, 16

43. ऐतरेय ब्राह्मण 7, 18